

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम भीलवाड़ा
केलाशंकर बनाम खीरजपुर
 नम्बर मुकदमा 183 नं. 162 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/10/25	<p>बाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई. दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सहायक कलक्टर</u> भीलवाड़ा</p>	
28/11/25	<p>पत्रावली पेश हुयी उमयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 16/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>आदेश लेरीडर</u></p>	
16/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी आधिबक्ता उषा शर्मा की गण के सम्मान का तामील अजान पत्रावली करते आधिबक्ता की तलमी हल दिनांक 16/11/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>16/11/25</u></p>	
16/11/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधिबक्ता उषा शर्मा की वादी आधिबक्ता द्वारा पत्रावली के मध्य समझौता हो जाने से एवं विवाद समाप्त हो जाने से तब की नोट उस किर्ने जाने बाबत आधिबक्ता पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा वादपत्र अनर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई कार्यवाही नहीं चारहे। नोट उस का</p>	

— लगातार —
16/11/26
 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा

16/11/26

प्रार्थना पत्र चेक किरी जागे से कोई कार्रवाई
ओपेसित नहीं है। अतः वही गरा प्रस्तुत बाद
अन्तर्गत धारा 183 बाबत काष्ठकारी माफिनिम
प्राप्ति किता जाग है। निरपि सेरे इवसाप मुसाप
हापान प्रबाबली फंसल शुमार होकर प्राप्ति लक्षण
ही ऑट नम्बर से कम ही।


16/11/26

सहायक 
भीलवाड़ा